



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission


क्रांक/Ref. No.:

- 2 -

दिनांक/Date.:

आयोग ने समस्त तथ्यों का देखते हुए यह निर्णय लिया कि प्रथम दृष्टया ये मामले गम्भीर प्रकृति के नहीं लगते हैं तथापि इनकी प्राथमिक जाँच उत्तराखण्ड पुलिस के साइबर सेल के माध्यम से करा ली जाये जिससे अभ्यर्थी श्री जसपाल शर्मा के कथन की पुष्टि हो सके व दूसरी इमेज के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट हो सके।

आयोग ने यह भी विचार किया कि इन मामलों को देखते हुए परीक्षा कक्ष में मोबाईल प्रतिबंधित किया जाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः भविष्य में परीक्षा केन्द्रों पर मोबाईल फोन की चेकिंग तथा उनके रख-रखाव के सम्बन्ध में सपष्ट प्रक्रिया व दिशा-निर्देश जारी करने के लिए आयोग की पूर्ण बैठक में शीघ्र विचार किया जायेगा।


(संतोष बडोनी)
सचिव।